न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 70/2008 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :— 2008/00019

उनवान

1. मनोहरी पुत्र भौरया
2. चन्दू नवीरा भौरया
3. बच्चू नवीरा भौरया
4. रामेश्वर पुत्र सोनी
5. जयप्रकाश } पुत्र रामदयाल
6. रोशन }
7. अंगूरी वेवा रामदयाल
8. चन्द्रवती }
9. मुन्नी } पुत्रीयान रामदयाल
10. सुनीता }
11. राधा }
12. जगन्नाथ पुत्र हीरालाल
13. नेमीचन्द पुत्र रघुवीर

जातियान जांगिड ब्राहम्ण निवासीयान सलेमपुर खुर्द तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. भूलीराम (मृतक)
   - 1/1. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/2. महेशचन्द पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/4. मुन्नीलाल पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/5. चन्द्रभान पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/6. जगन्ता पुत्री स्व0 भूलीराम
2. खेमा }
3. राजबहादुर } पिसरान किशोरी
4. रमेश पुत्र प्यारे }
5. रामचरन पुत्र चिरंजी (मृतक)
   - 5/1. श्रीमती नर्वदा धर्मपत्नी स्व0 रामचरन
   - 5/2. भरोसी }
   - 5/3. जगदीश } पिसरान रामचरन
   - 5/4. राधेश्याम }
   - 5/5. मुकेश }
   - 5/6. सन्तोषी पुत्री चरन

   जातियान जांगिड ब्राहम्ण निवासीयान सलेमपुर खुर्द तहसील वैर जिला भरतपुर
6. खिल्लू पुत्र रामहेत (मृतक)
   - 6/1. देवीराम(मृतक) पुत्र रामहेत
     - 6/1/1. बच्चू }
     - 6/1/2. अशोक } पुत्रगण स्व0 देवीराम
     - 6/1/3. रामरतन }
     - 6/1/4. लौकी }
     - 6/1/5. बद्री }
   - 6/1/6. सखी } पुत्रीयान स्व0 देवीराम
   - 6/1/7. कल्लो }
   - 6/1/8. सीता }
   - 6/1/9. गुल्ला }

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. ढकेली पुत्री हीरालाल पत्नी हरीराम जाति जांगिड निवासी हाल वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।
8. शारदा पुत्री हीरालाल पत्नी जगदीश निवासी माईदपुर।
9. सहोदरा पुत्री हीरालाल पत्नी जगदीश निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. शान्ती पुत्री हीरालाल पत्नी सम्पत निवासी माईदपुर निठार।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 19.08.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर प्रकरण संख्या 215/04 उनवानी भूलीराम बनाम खेमा वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री सुघड सिंह उपस्थित ।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–25.07.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 19.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01/वादी द्वारा एक वाद, वास्ते विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि रैस्पो0 संख्या 01/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0, संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में रैस्पो0 संख्या 01/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण व शेष रैस्पो0 अपने–अपने हिस्से अनुसार अभिलिखित खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं एवं उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी है। जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण बलशाली व्यक्ति हैं जो विवादित आराजी में से अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं व रैस्पो0 संख्या 01/वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर शान्ति से काश्त करने में रूकावट डालते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि का विभाजन बाई मीट्स एवं बाउण्ड कराने व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्रारम्भिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार वैर से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है क्योंकि उक्त प्रकरण में लायक तहत अदालत के समक्ष वास्ते बहस अन्तिम तारीख पेशी 12.08.2008 नियत थी उस दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस अन्तिम 14.08.2008 नियत कर दी गई। किन्तु उसके बाद अपीलाण्ट की बिना जानकारी में लाये, रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय रूप से अपीलाण्ट को बिना सुने विवादित आराजी से आराजी खसरा नम्बर 568 व 925 बाबत् दावा विदड्रा कर दिया जबकि सह हिस्सेदारी की सम्पूर्ण भूमि का ही विभाजन किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य पर गौर नहीं किया कि जब रैस्पो0 ने पार्ट आफ दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लैण्ड बाबत् दावा विदड्रा कर लिया तो शेष आराजी बाबत् विभाजन का वाद पोषणीय नहीं रहता है। इसलिये दावा खारिज करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 720 कृषि कार्य में नही आकर आवासीय एवं वाणिज्यक प्रयोजन में, मौका रिपोर्ट के अनुससार काम में लिया जा रहा है। जिसका विभाजन किया जाना संभव नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि खसरा नम्बर 568 व 925 का पूर्व में ही बॅटवारा हो चुका है एवं मकानात बने हुए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दोनों खसरा नम्बरो की हद तक दावा विदड्रा किये जाने के आदेश पारित किये हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने उक्त दोनों खसरा नम्बरों के विदड्रा किये जाने की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाई है। अतः अब हस्तगत अपील में आपत्ति मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही दावा प्रारम्भिक डिक्री किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति का सारांश यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र बाबत् खसरा नम्बर 568, 925 की हद तक दावा विदड्रा किये जाने पर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.08.2008 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 12.08.2008 को, प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 14.08.2008 नियत की गयी है एवं उसी रोज रैस्पो0/वादी के प्रा0 पत्र पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पत्रावली पुनः पेशी में ली जाकर, अपीलाण्ट को बिना सुने आराजी खसरा नम्बर 568, 925 की हद तक दावा विदड्रॉ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 19.08.2008 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रैस्पो0/वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर, अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.08.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not official